विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 27 अगस्त, 2012

संख्या : वि0स0–लैज–गवर्नमैंट बिल/1–41/2012.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 28) जो आज दिनांक 27 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

————————

2012 का विधेयक संख्यांक 28

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

2. **धारा 5 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 5 में, खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (झ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

> ''(झ) जातिवाद, मदात्यय और मादक द्रव्यों के व्यसन आदि के उन्मूलन सहित नैतिक या धर्म–निरपेक्ष शिक्षाओं का प्रचार करने वाले धार्मिक या आध्यात्मिक निकायों या संगठनों से सम्बन्धित भूमिः
>
> परन्तु इस खण्ड के अधीन छूट, केवल तभी तक जारी रहेगी जब तक ऐसी भूमि और अवसंरचना, यदि कोई है, का उपयोग ऐसे धार्मिक या आध्यात्मिक निकायों या संगठनों द्वारा अपने प्रयोजनों के लिए किया जाता है और उसे ऐसे निकायों या संगठनों द्वारा विक्रय, पट्टा, दान, वसीयत, सकब्ज़ा बन्धक द्वारा या किसी अन्य रीति से अन्तरित नहीं किया जाएगा और इस खण्ड के उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में ऐसी भूमि या अवसंरचना या दोनों, यथास्थिति, सभी विल्लंगमों से रहित राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे।''।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा बाबा जैमल सिंह, ब्यास, पंजाब पड़ोसी राज्यों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि धारित करने के लिए संगठन को छूट प्रदान करने हेतु बार–बार अनुरोध कर रहा है। पूर्वोक्त अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अनुसार जातिवाद, मदात्यय और मादक द्रव्यों के व्यसन आदि के उन्मूलन सहित, नैतिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षाओं की अभिवृद्धि करने वाले धार्मिक तथा आध्यात्मिक निकाय और संगठन उक्त

अधिनियम की धारा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि धारित नहीं कर सकते हैं। जबकि पड़ोसी राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में उनकी अपनी–अपनी अधिकतम सीमा विधियों के अधीन ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक निकायों को छूट प्रदान की गई है। तथ्य पर पूर्ण विचार करने के पश्चात्, ऐसे निकायों और संगठनों को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन उपबंधित अनुज्ञेय क्षेत्र की अधिकतम सीमा में, कतिपय निर्बन्धनों के अध्यधीन यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपबंधों का दुरूपयोग न हो, छूट देना युक्तियुक्त समझा गया है। अतः उक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(गुलाब सिंह ठाकुर)
प्रभारी मन्त्री।

शिमलाः
तारीखः....., 2012

वित्तीय ज्ञापन

––शून्य––

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

––शून्य––

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 28 of 2012

THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 2012.

2. Amendment of section 5.—In section 5 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act,1972, after clause (h), the following new clause (i) shall be inserted, namely:—

"(i) lands belonging to religious or spiritual bodies or organizations, propagating moral or secular teachings including eradication of casteism, alcoholism and drug addiction etc.:

Provided that the exemption under this clause shall continue only as long as such land and structure, if any, is used for its purposes by such religious or spiritual bodies or organizations and the same shall not be transferred by way of sale, lease, gift, will, mortgage with possession or in any other manner by such bodies or organizations and in the event of contravention of the provisions of this clause, such land or structure or both, as the case may be, shall vest in the State Government free from all encumbrances.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Radha Soami Satsang Beas, Dera Baba Jaimal Singh Beas, Punjab is requesting time and again to provide exemption to organization to hold land in excess of the permissible area specified under section 4 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972, on the analogy of neighbouring States. As per existing provisions of the Act ibid, the religious and spiritual bodies and organizations promoting moral and secular teaching including eradication of casteism, alcoholism and drug addictions etc. cannot hold land more than the permissible area specified under section 4 of the said Act. Whereas, in the neighbouring States *i.e.* Punjab, Haryana, Rajsthan and Uttar Pradesh, exemption has been provided to such religious and spiritual bodies under their respective ceiling laws. After thorough consideration of the issue, it has been considered reasonable to exempt such bodies and organizations from the ceiling limit of permissible area provided under Act ibid, subject to certain restrictions to ensure that provisions are not misused. As such, it has been decided to make suitable amendments in the said Act. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(GULAB SINGH THAKUR)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
The , 2012.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—